

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/112980/GKP/GORAKHPUR/1932/CFO

दिनांक : 30-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स Mod.Tariq Sayeed and Others Trough Builder,Agrasen Realtors and DeveloperPVT Director

Vikas Kejriwal पता 619-MI Mauza- Lacchipur, Tappa and Paragona-Haveli,-GORAKHPUR तहसील - SADAR प्लाट एरिया

6888.17 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 24550.46 (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या 2 जिसमे

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Residential block	11	1	33.25 mt.
COMERCIAL BLOCK	4	2	17.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स Mod.Tariq Sayeed and Others Trough Builder,Agrasen Realtors and DeveloperPVT Director

Vikas Kejriwal द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय

मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Residential के

अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्मित किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन

पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत

प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स Mod.Tariq Sayeed and Others Trough

Builder,Agrasen Realtors and DeveloperPVT Director Vikas Kejriwal अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1-आवासीय भवन व मरकेन्टाइल भवन का वाटर सप्लाई लाइन कनेक्ट रखना अनिवार्य होगा।

2-लिफ्ट वेल को प्रेशराइज करना अनिवार्य होगा।

3-प्रस्तावित भवन के दोनों ब्लाकों के बेसमेन्ट प्रथम व द्वितीय में स्मोक एक्सटेंशन सिस्टम लगाया जाना अनिवार्य होगा।

4-प्रस्तावित भवन में वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

5-भवन में रिफ्यूजी एरिया एन0बी0सी0 मानक के अनुसार रखना अनिवार्य होगा।

6-सम्पूर्ण फायर सिस्टम को सदैव आटोमोड पर रखना अनिवार्य होगा।

7-प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0 2016 के सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिनेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Jai Prakash Singh

49E14DDDAB657D84AD71266898C61B1FE4333961

31-03-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.